



हल्दी की जल्दी क्यों ?

आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ इनके नाजूक कंधों पर डालने से पहले एक बार जरूर सोचें।

18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का ब्याह न रचाएँ। बाल-विवाह अपराध है, आइए हम सब मिलकर इसका विरोध करें।